राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि/नि.सं./271 दिनांक 05/08/2020

सचिव/प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः– कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति में फीस वसूली में शिथिलता बाबत।
संदर्भः– राज्य सरकार के आदेश कमांक प 3 (7)शिक्षा–4/214 पार्ट दिनांक 23.07.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि निजी महाविद्यालय विद्यार्थियों से फीस वसूली में सख्ती बरत रहे हैं। समय पर फीस जमा नहीं कराने पर विलम्ब शुल्क वसूला जा रहा है तथा ऐसी मदों के लिए भी फीस मांगी जा रही है जिनका कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण विद्यार्थी उपयोग नहीं कर रहे हैं।

आपको विदित है कि पूरा प्रदेश कोविड–19 वैश्विक महामारी से ग्रस्त है। इस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां शिथिल होने के कारण लोगों की आय पर बुरा असर पड़ा है।

अतः परिस्थितियों की विषमता को देखते हुए समस्त महाविद्यालय अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों से फीस लेते समय संवेदनशीलता का परिचय देवें व सत्र 2020–21 के लिए फीस वसूली में राहत बरतें। फीस तिमाही आधार पर चार किश्तों में ली जावे एवं किसी भी रूप में विलम्ब शुल्क नहीं वसूला जावे। महामारी के कारण हॉस्टल, मेस तथा परिवहन सुविधाएं बंद हैं, ऐसी स्थिति में जिन सुविधाओं का उपयोग विद्यार्थी नहीं कर पा रहें हैं, उन मदों की फीस विद्यार्थियों से नहीं ली जाए। केवल उन्हीं मदों में फीस ली जाए, जिनका उपयोग विद्यार्थी कर रहे हैं। विकास शुल्क के रूप में फीस नहीं ली जावें।

अन्य मदों में भी फीस लेते समय विद्यार्थी के परिजन की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों से फीस लेते समय विशेष शिथिलता बरतें एवं संकट के इस समय में सदाशयता का परिचय देवें।

04/08

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा।
4. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)